

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षा स्था3/2019/ 15962


भोपाल, दिनांक 17/6/19

1. समस्त सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास,
मध्यप्रदेश ।
2. समस्त जिला संयोजक,
आदिम जाति कल्याण विभाग,
मध्यप्रदेश ।

विषय:-विभाग में संविलियत नवीन शिक्षक संवर्ग के संबंध में ।

विषयांतर्गत विभाग द्वारा अध्यापक संवर्ग को नवीन शिक्षक संवर्ग में संविलियत किया गया है । संविलियन किए गए शिक्षकों का IFMIS में एम्पलाइ कोड जारी करने हेतु MPTAAS के माध्यम से आयुक्त, कोष एवं लेखा को जानकारी उपलब्ध कराई गई है। कतिपय शिक्षकों के डी.डी.ओ. कोड, वेतनमान, ग्रेड-पे, बेसिक पे तथा बैंक विवरण में अंतर आने से उनका वेतन आहरित नहीं हो पा रहा । अतः ऐसे समस्त नवीन संविलियत शिक्षकों की तथ्यात्मक जानकारी एक्सल शीट में संलग्न प्रपत्र में तत्काल ई-मेल anilkumar.gupta@mp.gov.in पर उपलब्ध कराये, ताकि ऐसे प्रकरणों का निराकरण किया जा सके। पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देवे।

संलग्न - उपरोक्तानुसार ।



आयुक्त

आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 17/6/19


पृ.क./शिक्षा स्था3/2019/ 15963
प्रतिलिपि :-

1. समस्त संभागीय उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश ।


आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

प्रपत्र

क्र.	कोषालय द्वारा जारी एम्प्लॉई कोड	शिक्षक का नाम	सही पदनाम	सही ग्रेड-पे	सही बेसिक-पे	सही IFSC कोड	सही बैंक एकाउंट	सही डी.डी. ओ. कोड



सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास

नोट -उक्त प्रपत्र में केवल वही जानकारी दी जाए जिनके एम्प्लॉई कोड आवंटित हो चुके हैं एवं उक्तानुसार त्रुटियां परिलक्षित हो रही हैं।